न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 39/2024 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती सागर बाई पुत्री स्वर्गीय अम्बादान चारण पत्नी गंगादान जी चारण, निवासी अमरतिया, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती पूरण कंवर पुत्री स्व. अम्बादान चारण पत्नी तेजसिंह देवल, नि0 17, नई आबादी, सज्जनपुरिया वार्ड 01, मग्रोदा, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्रीमती धापु बाई पुत्री स्वर्गीय अम्बादान चारण पत्नी रतनसिंह जी चारण, निवासी 10, दुदालिया चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. दौलतसिंह पिता अम्बादान जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. भगवानलाल गुर्जर पिता जगरूप जी, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. शम्भुसिंह पिता मेहताबसिंह जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. गजेन्द्रसिंह पिता चमनसिंह जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. महेन्द्रसिंह पिता चमनसिंह जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. दिनेशसिंह पिता चमनसिंह जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. कुलदीपसिंह पिता चमनसिंह जी चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती रतनबाई पत्नी जगदीशचन्द्र जी, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. उप पंजीयक, कार्यालय उप पंजीयक, नायब तहसील सनवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध

निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली

दिनांक 02.08.2024 प्र.सं. 14/2023

———

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 2

———::———

निर्णय **दिनांक 05—11—2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दुदालिया, तहसील मावली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 (क) की आराजी नंबर 12, 2, 667/1 कुल किता 3 रकबा 1.0602 हैक्टर, (ख) की आराजी नंबर 48 से 53, 60 से 62, 668/54 कुल किता 10 रकबा 2.6143 हैक्टर, (ग) की आराजी नंबर 54 से 58 कुल किता 5 रकबा 1.9991 हैक्टर, (घ) की आराजी नंबर 225 से 227, 232, 233 कुल किता 5 रकबा 0.9398 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पूर्व में प्रार्थीगण के दादा श्री हरदान पिता भैरूदान जी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी जो विरासत से उनके तीन पुत्र मेहताबदान, चालकदान, अम्बादान के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हुई। तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता अम्बादान की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम विधिक वारिसान होने से बराबर—बराबर निहित हुई तथा अम्बादान के हिस्से की भूमि में उनके चारों वारिसान का 1/4, 1/4 हिस्सा है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने अम्बादान जी के निधन के बाद पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा जानबूझकर प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं होने दिया, जो प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य व बेअसर है। उक्त आराजियात अकेले विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हो जाने से नुमाईशी विक्रय विपक्षी संख्या 2 को कर दिया, जो प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। विपक्षी संख्या 3 से 8 सहखातेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। नुमाईशी विक्रय पत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में अम्बादान के हक हिस्से की आराजियात उसके विधिक वारिस एक मात्र पुत्र विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई तथा विपक्षी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से कब्जा विपक्षी संख्या 2 का चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है तथा न ही उनका कब्जा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–08–2024 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 01–10–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखा करते हुए मात्र रेस्पोन्डेन्ट के कथनों पर बिना किसी साक्ष्य के विश्वास करते हुए मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी भी खातेदारी की मृत्यु होने पर उसके खातेदारी अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुरूप उसके समस्त वारिसान में निहित हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि अम्बादान की मृत्यु होने पर खातेदारी अधिकार उनके विधिक वारिसान अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 में निहित हो चुके थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की होने से सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हुए भी उनके पक्ष में नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

नजीरें 2005 (0) SUPREME (Raj) 295, 2024 (0) SUPREME (Cal) 1126, 2022 (0) SUPREME (SC) 273, 2004 (0) SUPREME (Raj) 1066, 2009 (0) SUPREME (SC) 1061, 2023 (0) SUPREME (SC) 1165, 2008 (0) SUPREME (Raj) 743, 2007 (0) SUPREME (Raj) 23, 2006 (0) SUPREME (Raj) 2513, 2005 (0) SUPREME (Raj) 1243, 2005 (0) SUPREME (Raj) 295, 2005 (0) SUPREME (Raj) 295, 2005 (0) SUPREME (Raj) 47, 2004 (0) SUPREME (Raj) 1225, (2007) 1 RLW (RJ) 578, (2005) 1 RLW (RJ) 449, (2009) 1 RLW (RJ) 29, (2007) 2 RLW (RJ) 840, (2005) 2 RLW (RJ) 646, (2007) 1 RLW (RJ) 22, (2010) 1 RLW (RJ) 38, (2011) 21 RCR (Civ) 683 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण विवादित आराजियात के खातेदार हैं एवं न ही उनका कब्जा है। विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दौलतसिंह के नाम वर्ष 1987 में ही आ गयी थी तथा दौलतसिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय वर्ष 2022 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। इस मामले में दौलतसिंह द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए उक्त तीनों बिन्दु अपीलान्ट/प्रार्थीगण के विरूद्ध मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार अपीलान्टगण तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अम्बादान के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने विवादित आराजियात पैत्रृक होना बताया है तथा इस आधार पर अम्बादान के प्रत्येक पुत्र एवं पुत्री का 1/4, 1/4 हिस्सा बताते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर रखा है तथा उसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए अपीलान्टगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि हाल जमाबन्दी में विवादित आराजियात प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 के सहखातेदारी में दर्ज है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा विवादित आराजियात ख[illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दौलतसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested

से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01–06–2022 को क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है तथा वर्तमान में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सद्भावी क्रेता होकर रेकार्डेड खातेदार है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण विवादित आराजियात के खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके अनुसार रेकार्डेड खातेदारी अथवा सहखातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मूलवाद अभी विचाराधीन है, उक्त वाद में जब तक अपीलान्टगण को खातेदार/सहखातेदार घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक रेकार्डेड खातेदार/सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के आधार पर ही अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 02–08–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 05–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:37 IST
Reason: SelfAttested